व्यवस्था की गई है। यूरोपियन कमीशन में एक ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है जिसमें यह कहा गया है कि जीएसपी लाभों को बाल-श्रमिकों जैसे मुद्दों से जोड़ने का एक रिजोल्यूशन मंजूर किया जाये। सरकार ने इस मामले में यह रुख अपनाया है कि बाल-श्रमिकों की समस्या से निपटने के लिए व्यापारी कार्रवाई कोई प्रभावी तरीका नहीं है तथा गेट में ऐसी कोई स्वीकृति नहीं है, जिसके अनुसार किसी देश की सामाजिक मुद्दों से संबंधित चिंता को प्रकट करने के लिए या व्यापारी उपायों का सहारा लिया जाये। उक्त प्रस्तावित उपाय अभी तक प्रभावी नहीं हुए हैं और इसलिये उन्हें कार्यान्वित करने का प्रश्न नहीं उठता।

भारत में, 1986 के बाल-श्रमिक, (निषेध और विनियमन) अधिनियम में खतरनाक व्यवसायों में बाल-श्रमिकों को लगाने पर प्रतिबंध है। इस कानून में ऐसा संशोधन करने का विचार है जिससे इसकी व्यवस्थाएं और भी कड़ी हो जाएं।

बंधुआ बाल श्रम संबंधी राष्ट्रीय आयोग

*106. **श्रीमती आनन्दीबेन जैठाभाई पटेल :**
श्री इकबाल सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बच्चों को श्रमिकों के रूप में काम पर लगाने तथा उन्हें बंधुआ श्रमिक बनाने को रोकने और उनके शोषण को समाप्त करने के लिए कोई मंच बनाया है ;

(ख) क्या सरकार बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) बालकों के शोषण और उन्हें बंधुआ बनाने से रोकने तथा श्रमिकों के रूप में उनके नियोजन को रोकने के लिए सरकार के विधायी, प्रशासनिक तथा न्यायिक संघटकों में अनेक मंच उपलब्ध हैं।

समस्या को दूर करने के लिए उपाय करने हेतु विचार-विमर्श करने एवं कानून बनाने के लिए संसद एवं राज्य विधान मंडल एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है। बालकों के शोषण को रोकने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए अनेक कानून पारित किए गए हैं, जिनमें से कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 और बाल श्रम (प्रतिशेष एवं विनियमन) अधिनियम 1986 अधिक महत्वपूर्ण हैं। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 16 में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज करने का प्रावधान है। श्रम एवं कल्याण से संबंधित संसदीय स्थायी समिति तथा संसदीय परामर्शदात्री समिति भी कार्यान्वयन के लिए रणनीति बनाने की समीक्षा एवं सिफारिश करती है।

कानूनी उपबन्धों का प्रवर्तन केन्द्र एवं राज्य सरकारों के प्रशासनिक तंत्र द्वारा किया जाता है। कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा उपयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए केन्द्र एवं राज्य स्तर पर बाल श्रमिक सलाहकार बोर्ड गठित किए गए हैं। बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के तहत जिला एवं उप-मंडलीय स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा गठित सतर्कता समितियां जिनमें सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व होता है, प्रवर्तन एवं पुनर्वास के काम में अधिनियम के कार्यान्वयन का प्रबोधन करती है।

सरकार को कल्याण एवं पुनर्वास योजना मुख्यत: गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जाती हैं जो शोषण की ओर उन्मुख कामकाजी बालकों की संरक्षा में और

बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए जागरुकता पैदा करने की गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

विभिन्न विधान के अंतर्गत विशिष्ट रूप से न्यायिक कोटा की व्यवस्था है एवं समय-समय पर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों ने लोकहित के मुकदमों पर महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। ये निर्णय प्रवर्तन और पुनर्वास में प्रशासनिक कार्यवाही के लिए मार्ग दर्शन करते हैं।

एक मानव अधिकार आयोग का भी गठन किया गया है। इस आयोग के कार्यों में मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों पर स्वत: प्रेरणा से कार्रवाई करना शामिल है, इस प्रकार इस के अंतर्गत बंधुआ बाल श्रमिक सहित कामकाजी बालकों के शोषण के मामले भी आते हैं।

अत: इस समय बालकों के लिए एक अलग आयोग बनाने की जरूरत नहीं समझी गई है।

Tobacco auction centres in Gujarat

*107. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have re ceived any request from the to bacco growers of Gujarat to open to bacco auction centres at Nadiadl Anand district of Gujarat to provide remune rative prices to the growers;

(b) if so, the details thereof; and

(c) by when these centres are likely to be set up?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) to (c) Some representations had been received regarding the establishment (of tobacco auction centres by the Tobacco Board, at some places in Gujarat State. The matter is under consideration.

U.S. withdrawal of super 301 sanctions

*108. SHRI G.G. SWELL; SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that US has withdrawn its threat of using super 301 sanctions against India;

(b) if so, what is the assessment of Government regarding change of US stance;

(c) what is the percentage of Indian exports to US as compared to its overall exports;

(d) whether trade with Russia is likely to increase subsequent to Prime Minister's visit to Moscow;

(e) if so, the details thereof in terms of trade mechanism strategy and quantum; and

(f) whether the auction of rupee debt fund in Russia would increase Indian exportg to Russia?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) and (b) The U.S. administration has not identified India as a priority foreign country under the reinstituted Super 301, provision of U.S. Trade law so far.

(c) USA account for about 18 per cent of India's total exports during 1993-94.

(d) The Prime Minister's visit to Moscow (29 June—2 July 1994 was a re-affirmation of the importance which India and Russia attached to their bilateral relations. It marked a qualitatively new stage of partnership and cc-operation, *inter-alia*, in the trade and economic sphere.

(e) During the meeting of the Co-Chairman of the Indo-Russia Joint